

आदेश ब झजलारा प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 63/2024 (धारा 14 शिक्थोरिटाईजेशन)
एडलवाईज असोट रिक्न्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 100, वैशाली मार्ग, वैशाली
नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री राम गोपाल गुप्ता पुत्र श्री श्री शीताराम,
2. श्री दीपक गामोडिया पुत्र श्री राम गोपाल गुप्ता,
पता:- प्लॉट नं. 100, लूणियावासा बस स्टेशन, वार्ड नं. 24, गोनेर रोड, तहसील सांगानेर,
जामडोली, जयपुर
एवं दुकान नं. 24 एवं 25, सिंधी कॉलोनी, वार्ड नं. 24, लूणियावासा बस स्टेशन, गोनेर रोड,
तहसील सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The
Securitisation and Reconstruction of Financial
Assets and Enforcement of Security Interest Act,
2002

उपरिस्थित :-

1. श्री चंचलदीप सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 22.02.2024


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वित्तीय संस्था एचडीबी फाइनेन्शियल सर्विसेज ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.08.2017 को पुनर्गुर्तान हेतु जमानत प्रतिगृहीत के रूप में अप्रार्थी श्री राम गोपाल गुप्ता के स्वामित्व की संपत्ति दुकान नं. 24 एवं 25, सिंधी कॉलोनी, वार्ड नं. 24, लूणियावासा बस स्टेशन, गोनेर रोड, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 111.1 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 15,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.11.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। तत्पश्चात् दिनांक 28.02.2023 को एचडीबी फाइनेन्शियल सर्विसेज द्वारा एडलवाईज असोट रिक्न्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को जरिये असाइनमेंट एग्रीमेंट ऋणी का खाता स्थानान्तरित किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इत्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 15,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 42,86,122.15/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 07.11.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः 'The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002' की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री राम गोपाल गुप्ता के स्वामित्व की संपत्ति दुकान नं. 24 एवं 25, सिंधी कॉलोनी, वार्ड नं. 24, लूणियावास बस स्टेण्ड, गोनेर रोड़, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 111.1 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कांयदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हो।
6. आदेश आज दिनांक 22.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।




 (प्रकाश राजपुरोहित)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर